संख्या-1/2018/(736/18) 3/2/35-आ0-2/2016-19 टी0सी0

प्रेषक,

आर0एन0एस0 यादव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
सहारनपुर ।

राज्य योजना आयोग-2 लखनऊ: दिनांक: **19** मार्च, 2018
(नियोजन विभाग)

विषय: क्षेत्रीय विकास में सामाजित निवेश कार्यक्रम (सियाड) योजनान्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, भत्तों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में फरवरी, 18 के वेतन हेतु आवंटित धनराशि ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या- 971/लेखा०/सियाड कार्यक्रम/2017-18 दिनांक- 08-03-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक के अन्तर्गत अवशेष 01 माह हेतु रू0- 31,548.00 (रू0- इकतिस हजार पॉच सौ अडतालिस मात्र) मदवार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- यह वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त 2017 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन स्वीकृति प्रदान की जा रही है । जिसका कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

3 संलग्न परिशिष्ट 'क' में अंकित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्ष- ''3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-03-राज्य योजना आयोग के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4- उपर्युक्त आवंटित धनराशि का व्यय कर्मचारियों के वेतन, एवं अन्य भत्ता आदि पर शासकीय कर्मचारियों की भॉति संबंधित कोषागार से वेतन देयक के आधार पर आहरण किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल आवंटित धनराशि के सापेक्ष कोषागार से आहरित व्यय/बचत का विवरण डी0डी0ओ0 रिकन्सीलेशनशीट (टेजरीशीट) तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। इन आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

आर0एन0एस0 यादव
विशेष सचिव।

कृ0पृ0उ0

http://sriramdeosh.up.nic.in

संख्या-1/2018/(736/18)3/1/35-आ0-2/2016-19 टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
4- वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- अनुभाग अधिकारी (लेखा) नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9- आहरण वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
10- नियोजन अनुभाग-1
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट- "क"

शासनादेश संख्या-1/2018/(736/18) 3/2/35-आ0-2/2016-19 टी0सी0, दिनांक 19 मार्च, 2018 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 01 माह हेतु आबंटित धनराशि का विवरण

लेखाशीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-03-राज्य योजना आयोग

अनुदान संख्या-40

(धनराशि रूपये में)

मद संख्या	मानक मदें	सहारनपुर
1	2	8
01	वेतन	25360.00
03	मंहगाई भत्ता	00.00
06	अन्य भत्ते	6188.00
	योग:-	31548.00

(रूपये- इकतिस हजार पॉच सौ अडतालिस मात्र)

(ऋषिकेश दुबे)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।